-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लोगों को सहायता का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी कर बैंक खातों से धनराशि निकालने वाले 02 अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के एटीएम सहित 32 हजार रुपए नकद बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लोगों की सहायता का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी कर खातों से धनराशि निकालने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शान्ति नगर के रहने वाले राहुल पुत्र बच्छराज द्वारा दिनांक दिनांक 12.01.2026 को थाना कोतवाली नगर में सूचना दी कि दिनांक 08.10.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा छलपूर्वक एटीएम कार्ड बदलकर उनके बैंक खाते से रुपए निकाल लिए। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी कर खातों से धनराशि निकालने वाले अभियुक्तों की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को पुलिस लाइन तिराहा एसबीआई एटीएम के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपना स्वीकार करते हुए बताया कि वे एटीएम मशीनों के आसपास खड़े होकर भोले-भाले, अकेले एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता का झांसा देकर छलपूर्वक उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे। इसके उपरांत चोरी किए गए एटीएम कार्ड एवं पिन की सहायता से पीड़ित व्यक्तियों के खातों से धनराशि निकाल लेते थे। पीड़ितों को धोखाधड़ी की जानकारी तब होती थी, जब उनके खातों से धनराशि निकल चुकी होती थी। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 08.10.2025 एवं 29.10.2025 को इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 05 एटीएम कार्ड एवं 32 हजार रुपए नकद बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- 05 एटीएम कार्ड (चोरी के)
- 32 हजार रुपए नकद (चोरी के)
- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजू उर्फ श्यामलाल पुत्र अच्छेलाल निवासी देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना (म0प्र0)।
2. अनिरुद्ध उर्फ भोलू पुत्र सूरजपाल निवासी देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर जनपद पन्ना (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 22/26 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 888/25 धारा 303(2)/318(4)317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास राजू उर्फ श्यामलाल-

1. मु0अ0सं0 94/23 धारा 406/411/419/420 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
2. मु0अ0सं0 21/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
3. मु0अ0सं0 82/23 धारा 406/411/419/420 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
4. मु0अ0सं0 151/24 धारा 411/419/420 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही।
5. मु0अ0सं0 197/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदौही।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0निरी0 थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 श्री आनन्द साहू चौकी प्र0 सिविल लाइन
3. उ0नि0 श्री गौरव प्रताप सिंह
4. कां0 जितेन्द्र द्विवेदी
5. कां0 नितेन्द्र कुमार